चित्रकूट पुलिस

(1).   “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कान्त राय के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के मार्गदर्शन में श्री निशिकान्त राय प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी व उनकी टीम द्वारा ग्राम साईपुर में चाकू मारकर हत्या करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.05.2026 को समय रात्रि 11.00 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर उच्चाधिकारीगण एवं प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल को सरकारी अस्पताल पहाड़ी ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टर द्वारा घायल बाबूलाल को मृत घोषित कर दिया गया। वादिया श्रीमती रानी देवी पत्नी बाबूलाल यादव निवासी साईपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि दिनांक 25.05.2026 को अपने पति के साथ घर पर थी कि समय करीब 11.00 बजे रात्रि में 1.अमन पटेल पुत्र महेन्द्र पटेल निवासी ग्राम परसौजा थाना पहाड़ी 2.गोलू यादव उर्फ चन्द्रिका प्रसाद पुत्र देशराज यादव निवासी गढ़ीघाट (बरेदी पुरवा) थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 3.राकेश यादव पुत्र मूलचन्द्र यादव निवासी साईपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा वादिया के दरवाजे पर आकर वादिया के पति को अपने पास बुलाकर गाली गलौज करने लगे। इस पर वादिया के पति द्वारा गाली गलौज देने से मना करने पर अभियुक्तगणों द्वारा वादिया के पति के सीने में जान से मारने की नियत से चाकू मार देना। जिससे बाबूलाल की मृत्यु हो जाना ।

आज दिनांक 27.05.2026 को मुखविर की सूचना पर ग्राम पटियाजप्ती स्थित तालाब के भीटा के पास से 02 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूंछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम 1.अमन पटेल पुत्र महेन्द्र पटेल निवासी ग्राम परसौजा थाना पहाड़ी तथा दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम 2.गोलू यादव उर्फ चन्द्रिका प्रसाद पुत्र देशराज यादव निवासी गढ़ीघाट (बरेदी पुरवा) थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट बताया। अमन पटेल के मटमैले रंग के शर्ट में लगे खून के दाग धब्बों के बारे में पूछा गया तो बताया कि जो घटना साईपुर में हुई है मैने ही गोलू यादव उर्फ चन्द्रिका प्रसाद व राकेश यादव के साथ मिलकर घटना कारित की है। अभियुक्त राकेश यादव के बारे में पूछा गया तो बताया कि पुलिस के डर से भाग गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1.श्री निशिकान्त राय प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी
2.उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह
3.उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह
4.मुख्य आरक्षी ज्ञान स्वरूप मिश्रा
5.आरक्षी बहोरन सिंह
6.मुख्य आरक्षी चालक लाखन सिंह
7.आरक्षी दीपक सिंह
8.आरक्षी चन्द्रभूषण राय
9.रि0आरक्षी सूरज यादव
10.रि0आरक्षी नीतेश पाण्डेय
11.रि0आरक्षी राजदीप यादव
12.रि0आरक्षी अरुण यादव
13.रि0आरक्षी शिवम सिंह
14.रि0आरक्षी अमित यादव

(3). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार तथा प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष एससी/एसटी कोर्ट श्रीमती गीता सिंह द्वारा आज दिनाँक 27.05.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 664/2010 धारा 304(2),504 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्त संदीप मिश्रा पुत्र शिव औतार निवासी ग्राम खोह थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 07 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनांक 16.02.2010 को वादी हरछटिया द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी गयी थी कि दिनांक 16.02.2010 को वादी का भाई भिखरिया शौच करने के लिए तालाब की तरफ गया था कि पहले से घात लगाये बैठे संदीप मिश्रा पुत्र शिवऔतार मिश्रा द्वारा गाली गलौज करना तथा जान से मारने की नियत से लाठी डण्डो से मारकर घायल कर देना। सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 664/2010 धारा 307,504,506 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री उदयवीर सिंह द्वारा सम्पादित की गयी तथा दिनाँक 28.02.2010 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(4). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी अजय कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी न्यू (डकैती कोर्ट) श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 27.05.2026 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 88/2007 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. सुनील कुमार पुत्र मेवालाल द्विवेदी 2.फूलचन्द्र दुबे पुत्र ज्वाला प्रसाद दुबे निवासीगण चमरौहा थाना मानिकपुर 3.हरिशंकर पुत्र सुन्दरलाल तिवारी निवासी मऊ गुरदारी थाना मानिकपुर 4.अनिरूद्ध यादव पुत्र माता बदन निवासी गौरिया थाना रैपुरा 5.राधे उर्फ सुबेदार पुत्र मिठाईलाल कुर्मी निवासी सपहा थाना कोतवली कर्वी 6.भूण्डा उर्फ गोटर पुत्र भैरवा उर्फ भैरो चमार निवासी अहिरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष का कारावास व 20-20/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार व प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्रकूट श्री शेषमणि शुक्ला द्वारा आज दिनाँक 27.05.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2023 धारा 307,323,506 भा0द0वि0 के आरोपी

अभियुक्त अभिलाष सिंह पटेल उर्फ लाला पुत्र अनन्त राम पटेल निवासी नादिन कुर्मियान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 04 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 6000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.02.2023 को वादिया श्रीमती सीमा देवी पत्नी बुद्धविलाश निवासी नांदिन कुर्मियान थाना राजापुर द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्त द्वारा वादिया के पुत्र करन गुप्ता उर्फ आशीष उम्र 07 वर्ष के साथ मारपीट कर जान से मारने की नियत से कुए में धक्का देकर गिरा देना व जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 36/2023 धारा 307,323,506 भा0द0वि0 बनाम अभिलाष सिंह पटेल उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री कन्हैयालाल बक्श द्वारा सम्पादित की गयी थी जिसके क्रम में अभियुक्त अभिलाष सिंह पटेल उपरोक्त को दिनांक 01.03.2023 को गिरफ्तार करते हुए दिनाँक 29.03.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।